राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

प्राथमिकता संख्याः 10
यातायात प्रबन्धन

डीजी परिपत्र संख्याः 22/2026
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
फोन नं0 0522–2724003 / सीयूजी नं0 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in
दिनांक : अप्रैल 06, 2026

विषयः–पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–101 में इंगित कतिपय अपराधों के अतिरिक्त सड़क दुर्घटना में 03 या 03 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने पर सम्बन्धित अभियोगो को विशेष आख्या अपराध (S.R. Case) की श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हें विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल आख्या प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। किसी अपराध को विशेष अपराध आख्या की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ–साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्ग दर्शन किया जाय, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके। इस सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से मार्ग–दर्शन एवं अनुपालन हेतु पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0–67 / 2013	दिनांक 09.12.2013
डीजी परिपत्र सं0–19 / 2014	दिनांक 29.03.2014
डीजी परिपत्र सं0–49 / 2015	दिनांक 07.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–53 / 2015	दिनांक 12.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–54 / 2015	दिनांक 14.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–17 / 2020	दिनांक 23.05.2020
डीजी परिपत्र सं0–08 / 2024	दिनांक 29.02.2024

2. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित अभियोगों के परिशीलन से पाया गया कि ऐसे अभियोगों की विवेचना को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अभाव में विवेचनाओं में रह जाने वाली कमियों के कारण इन्श्योरेन्स क्लेम के निस्तारण होने में मृतकों के परिजनों को अत्यधिक असुविधा होती है।

3. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत सड़क दुर्घटना जिसमें 03 या 03 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो उसे "other cases of special interest" मानते हुए विशेष आख्या अपराध (S.R.Case) की श्रेणी में रखा जाये तथा उसकी विवेचना के पर्यवेक्षण हेतु एस0आर0 पत्रावली खोलकर कार्यवाही की जाय।

4. सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही में निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जायेः–

- विवेचना के दौरान वाहन चालक तथा वाहन स्वामी का सही–सही नाम पता ज्ञात कर केस डायरी में अंकित किया जाय ।

- निर्धारित मानको/नियमो के विरूद्व वाहन का मॉडीफिकेशन तो नहीं किया गया।
- वाहन का इन्श्योरेंस, फिटनेस, प्रदूषण एवं आर0सी0 के नवीनीकरण/वैधता की तिथि का विवरण केस डायरी में अंकित किया जाये।
- दुर्घटना का क्या कारण रहा है यथा–तीव्र मोड़, रोड का खराब होना, रोड पर अवैध कट का होना इत्यादि ।
- वाहन चालक दुर्घटना के समय शराब/अन्य मादक द्रव्य के प्रभाव में तो नहीं था, उसका मेडिकल हुआ है अथवा नहीं।
- वाहन चालक के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही एवं उसका विवरण केस डायरी में अंकित किया जाय।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा–53 व 55 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आर0सी0 निलम्बन/निरस्तीकरण की रिपोर्ट दी गयी अथवा नहीं।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा–84 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परमिट की शर्तों के उल्लघंन की स्थिति में निरस्तीकरण की रिपोर्ट दी गयी अथवा नहीं।
- वाहन में एच0एस0आर0पी0 नम्बर प्लेट थी अथवा नहीं।
- वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर वाहन के विवरण में अपडेट था अथवा नहीं।
- वाहन का टेक्निकल परीक्षण निरीक्षक/उपनिरीक्षक/एम0टी0 द्वारा मौके पर जाकर किया जाये एवं परीक्षण रिपोर्ट को केस डायरी में सम्मिलित किया जाय।
- दुर्घटना के समय आस–पास अधिष्ठापित सी0सी0टी0वी0 चेक किये गये अथवा नहीं, यदि चेक किये गये तो उसका विवरण केस डायरी में अंकित किया जाये।
- दुर्घटना के समय वाहन ओवर स्पीड में तो नहीं था।
- दुर्घटना के समय वाहन ओवरलोड तो नहीं था।
- भारी वाहन नियमानुसार सड़क के बॉयी तरफ चल रहा था अथवा नहीं।
- वाहन चालक अवयस्क तो नहीं था।
- वाहन चालक नींद में तो नहीं था।
- वाहन चालक दुर्घटना के समय सीट बेल्ट/हेलमेट धारण किये था अथवा नहीं।
- दुर्घटना के समय वाहन चालक द्वारा रॉग साइड ड्राइविंग तो नहीं की जा रही थी।
- दुर्घटना स्थल का फोटोग्राफ एवं अंक्षाश व देशान्तर अवश्य संकलित किया जाये और उसका विवरण केस डायरी में अंकित किया जाये।
- दुर्घटना स्थल पूर्व से ब्लैक स्पाट चिन्हित था अथवा नहीं, यदि चिन्हित था तो उसके सुधार हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी अथवा नहीं।
- दुर्घटना का विवरण iRAD/eDAR एप के सभी प्रारूपों में अपडेट किया जाय।

- मोटर वाहन अधिनियम, के 162 की धारा 1988 अन्तर्गत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के कैशलेस इलाज योजना के सुचारू कियान्वयन हेतु eDAR में सड़क दुर्घटना पीड़ित की यूनिक पीड़ित ID को TMS की ट्रीटमेंट पेशेंट रजिस्ट्रेशन/ID के साथ समय मैप किया जाए।

5. मैं चाहूँगा कि आप सभी उपरोक्त प्राविधानों का भली–भाँति अध्ययन करके कमिश्नरेट/जनपदों में एक कार्यशाला के माध्यम से वर्णित उपरोक्तांकित प्राविधानों को अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों एवं विवेचको को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1.**समस्त पुलिस आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश ।

2.**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।